न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— ~~05/2023~~ 30/2013

1. कैलाश पुत्र पतिराम जाति ब्राह्मण निवासी हाडौली हाल आवाद आदर्श स्कूल के पास उच्चैन तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. पतिराम पुत्र लक्ष्मन जाति ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन।
2. रोशन
3. रामभरोसी
4. मोहन पुत्रान पतराम जाति ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन।
5. गंगादेई पुत्री पतराम पत्नि पूरनचन्द जाति ब्राह्मण निवासी विड्यारी तह0 बयाना।
6. शकुन्तला पुत्री पतराम पत्नि प्रेमचन्द निवासी रूपवास तहसील रूपवास।
7. कमला पुत्री पतराम पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी बेरी हलैना तह0 वैर।
8. शिवकुमारी पुत्री पतराम पत्नि नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी सिन्धी पंचायत भवन केडी शर्मा वाली गली अनाहगेट भरतपुर।
9. शाखा प्रबन्धक ए0बी0ए0जी0 बैंक शाखा पिचूना।
10. राज0 सरकार तामील जरिये तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—24.06.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 133, 516, 544, 574, 594, 663, 693, 739, 968, 1338/514, 1342/575, 1345/664, 1361/947 कुल किता 13 कुल रकवा 15 बीघा 3 विस्वा ग्राम हाडौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 दावा के साथ पेश है। उक्त आराजी वादी के बावा लक्ष्मन पुत्र रामहंस की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादी बाई बर्थ 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

लगा0 4 का पिता है को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया है और प्रतिवादीगण सं0 1 से अपने पक्ष में विक्रयपत्र कराना चाहते है जब वादी को प्रतिवादीगण की उक्त मंशा की जानकारी हुई तो वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से कहा कि उक्त सम्पत्ति मेरे पूर्वजों की छोडी हुई है इसमें में भी हिस्सेदार हूं। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 ने दिनांक 24.03.2013 को धमकी दी की इस समय उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रतिवादी सं0 1 के नाम हो रहा है वह शीघ्र ही प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 के नाम उक्त आराजी को विक्रय करा देगा और तुमको उक्त आराजी के उपयोग उपभोग से बेदखल कर देंगे। उक्त दी गई धमकी के कारण वादी को वादकारण पैदा हुआ है जिसके कारण वादी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश कर वादी को विवादित आराजी में 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराया जाकर अलग अलग कुरे बनाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 व 7 की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 5,6,8 की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 8 जवाब पेश नहीं करना चाहते इनका जबाव बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जो उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 पतिराम से जरिये वसीयत दिनांक 24.04.2013 को प्राप्त हुई है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की निजी स्वअर्जित आराजी है जो उसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 के पूर्व में हुये विभाजन से प्राप्त मिली है जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 ने हम प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4 को पृथक पृथक वर्णित हिस्सों से पंजीकृत वसीयत दिनांक 24.04.2013 करा दी है इसलिए विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा0 8 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विवादित आराजी स्वअर्जित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी किसी भी प्रकार से हस्तांतरण व वसीयत करने का पूर्ण अधिकार रहा है। हम प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर काविज काश्तकार है। विवादित आराजी व अन्य आराजी कुल 57 बीघा 07 विस्वा वाके ग्राम हाडौली का प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में ही वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के बीच 5 हिस्सों में विभाजन हो चुका है जिसका इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 25.10.1972 के द्वारा पृथक पृथक हिस्सों कुरों पर इन्द्राज खातेदारी किये जा चुके है। वाद पत्र वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 दौराने वाद फोत हो गया जिसके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर होने के कारण नवीन संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया था जो कि दिनांक 19.07.2024 को खारिज किया गया। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश किये गये। प्रकरण में दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

सहायक कलक्टर
डीग (भरतपुर)

1. आया विवादित आराजी जो कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादी के बाबा मृतक लक्ष्मण सिंह की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादी को बाई बर्थ हिस्सा 1/9 के अधिकारी है। —वादी
2. आया प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के बहकावे में आकर प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को रहन बय मुन्तकिल करना चाहता है जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। —वादी
3. आया विवादित आराजी में वादी 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार है मुताबिक हिस्सा वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने का अधिकारी है। —वादी
4. आया प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.04.2023 को दी गई धमकी से वाद कारण पैदा हुआ है। —वादी
5. आया विवादित आराजी का पूर्व में ही विभाजन चार हिस्सों में हो चुका है जिसका इन्द्राज इन्काल संख्या 442 पर दर्ज रिकार्ड है। —प्रतिवादी
6. आया विभाजन के बाद शेष आराजी प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी है। जिसका वादी, प्रतिवादी के जीवनकाल में घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है। —प्रतिवादी
7. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी विवादित की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के हक में लिख कर तहरीर करा दी है। —प्रतिवादी
8. आया दावा वादी मेंटेबिल नहीं है दावा काबिज खारिजी है। —प्रतिवादी

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी बादी के बाबा लक्ष्मन की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादी को बाई बर्थ खातेदारी अधिकार 1/9 हिस्से पर प्राप्त हो जाते है उक्त विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 पतिराम ने अपने जीवनकाल में ही 5 हिस्सों में बंटवार कर चुका था।(4पुत्र एवं 1स्वंय के मध्य)। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से में आयी जायदाद की वसीयत दिनांक 24.04.2013 को वादी को छोडकर प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 को करा दी है जो कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जबाव दावा में स्वीकार किया गया है। उक्त आराजी जरिये डिक्री मुझ वादी को प्राप्त हुई है। अगर किसी आराजी में पिता के साथ पुत्र भी सहखातेदार तो वह पैतृक नहीं हो सकती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 के बाबा लक्ष्मण की मृत्यू 1974 में हो गई एवं विवादित आराजी में नामान्तरण संख्या 442 दिनांक 1972 में सहखातेदार घोपित किया गया। जबकि विवादित आराजी लक्ष्मण सिंह की मृत्यू के पश्चात जरिये विरासतन पतिराम को प्राप्त हुई है। विरासत की आड में प्रतिवादी संख्या 2 ने सन् 1998 में जरिये डिक्री विवदित आराजी से नोशनल शेयर प्राप्त कर लिया जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि विवादित आराजी पतिराम ने दे दी है ऐसा नहीं है। पतिराम की मृत्यु दिनांक 24.04.2013 से पहले हो गई थी जबकि वसीयतनाम दिनांक 24.04.2013 को किया गया था दोनों बातें आपस में विरोधाभाषी है। उक्त आराजी पतिराम को लक्ष्मण से प्राप्त हुई है जो कि पैतृक है। सीलिंग एक्ट 1996 से बचने के लिए 10.10 बीघा डिक्री करा दी एवं शेष जमीन 1974 में लक्ष्मन की मृत्यु के बाद पतिराम को मिली चुंकि उक्त आराजी पतिराम

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

को विरासत में मिली है इसलिए उक्त आराजी में वादी का हिस्सा बनता है। वादी को 1/9 हिस्सा आराजी पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी एवं अन्य आराजी कुल 57 वीघा 07 विस्वा थी जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के बाबा लक्ष्मन पुत्र राजहंस की छोडी हुई आराजी है। लक्ष्मन की उक्त आराजी का विभाजन 5 हिस्सों में पृथक पृथक हो चुका था जिसमें पतराम के नाम 15 वीघा 03 विस्वा एवं वादी कैलाश के नाम 10 बीघा 02 विस्वा प्रतिवादी संख्या 02 रोशन के नाम 10 वीघा 02 विस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 10 बीघा 11 विस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 04 मोहन के नाम 09 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अलग अलग इन्द्राज हो गई। जबकि वादी ने बाबा लक्ष्मण की आराजी से 1/9 हिस्से पर दावा किया है जो कि 6.5 बीघा बनती है जबकि वादी के नाम अलग से 10 बीघा 02 विस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जब एक बार विवादित आराजी का कानूनी विभाजन हो चुका है तो ऐसी स्थिती में विवादित आराजी का दुबारा कानूनी विभाजन नहीं हो सकता है। उक्त विवादित आराजी के अलग अलग खाते कायम होने से उक्त आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वअर्जित आराजी की श्रेणी में आयेगी। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को रहन वय करने का सम्पूर्ण अधिकार है एवं इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 पतिराम ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी की वसीयत दिनांक 24.04.2013 को प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत उपपंजीयक भरतपुर के यहां करायी है। वादी के द्वारा वसीयत कैन्सेलेशन का दावा सिविल कोर्ट उच्चैन के यहां पेश किया था जिसकों न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2024 को मैरिट पर खारिज किया है। इसलिए उक्त वसीयत बिल्कुल वैध एवं प्रभावी है। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है एवं पूर्व में हुये विभाजन के तथ्य को छुपाया है। वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र एवं ज़िरह वादी एवं प्रतिवादीगण का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड EXP1जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 प्रतिवादी संख्या 1 पतिराम खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। EXP2 जमाबंदी सम्बत् 2025–2028 में लक्ष्मन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। EXD2 जमाबंदी सम्बत् 2021 से 2024 में लक्ष्मन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। EXD3 जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 में मोहन, EXD4 जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 में रामभरोसी, EXD5 जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 में रोशन, EXD6 जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 में कैलाश, EXD7 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2024 न्यायालय सिविल न्यायधीश उच्चैन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2लगा0 4 के बाबा लक्ष्मन एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की छोडी हुई आराजी है जिसका विभाजन पूर्व में हो चुका है जिसका इंन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमावंदी सम्वत् 2069–2072 में दर्ज है। चुकिं उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

विभाजन प्राप्त हुयी है जिसका उसे रहन वय करने का पूर्व अधिकार है। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.04.2013 को उपपंजीयक भतरपुर के यहां करायी गई थी। उक्त वसीयत को खारिज कराने हेतु वादी ने सिविल न्यायाधीश उच्चैन के समक्ष वादपत्र पेश किया था उक्त वाद पत्र को सिविल न्यायाधीश उच्चैन के द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में दिनांक 24.04.2013 को करायी गई वसीयत पूर्वतः वैध है एवं आज दिनांक तक प्रभावी है। चुंकि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी की श्रेणी में आती है। उक्त आराजी में वादी के कोई अधिकार शेष नहीं बचते है। वाद पत्र वादी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण का विवेचन तनकीबाईज निम्नानुसार हैः—

तनकी नम्बर 1:— उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने से स्पष्ट है उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज लक्ष्मन की छोडी हुई आराजी है। जिसका विभाजन हो चुका है एवं वादी कैलाश को अपने हिस्से की आराजी विभाजन से प्राप्त हो चुकी है। विभाजन पश्चात पतिराम को मिली आराजी पतिराम की स्वअर्जित आराजी है जिसमें वादी का कोई अधिकार शेष नहीं बचता है। अतः उक्त तनकी वादी की विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2:— जिरह पीडब्लू 1 में गवाह कैलाश द्वारा स्वीकार किया गया है कि दिनांक 24.04.2013 से जरिये वसीयत प्रतिवादी संख्या 2,3,4 को प्राप्त हुई और वसीयत पतिराम ने अपने खाते की जमीन अपनी मर्जी से प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के पक्ष में की है। चुकिं तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है उक्त आराजी वादी की स्वअर्जित आराजी की श्रेणी में आती है जिसको रहन वय करने का पूरा अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को है एवं वादी द्वारा यह यह स्वीकार किया जाना कि अपनी मर्जी से प्रति0 सं0 1 ने 2,3,4 के पक्ष में की है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3:— उक्त तनकी का निस्तारण तनकी नम्बर 1 के साथ किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4:— चुंकि दिनांक 24.04.2013 उक्त रजिस्टर्ड वसीयत भरतपुर में उप पंजीयक भरतपुर के यहां पंजीकृत हुयी थी इसलिए 24.04.2013 को धमकी देना प्रतीत नहीं होता है। उक्त तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5,6,7:— उक्त तनकी का निस्तारण तनकी नम्बर 1 एवं तनकी नम्बर 2 के साथ किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 8:— चुंकि उक्त दावे को साबित करने का भार वादी पर था एवं वादी अपने दावे को साबित करने में असफल रहा इसलिए उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उक्त प्रकरण का निर्णय तनकीबाईज किया जा चुका है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन, भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत ...सहायक कलक्टर... मुकाम ...उच्चैन, भरतपुर...

व इजलास ...सुश्री आरती गुप्ता (R.A.S)...

...कैलाश... बनाम ...परसराम...

दावा बाबत ...धारा 53, 88, 89, 188 RTA...

मुकदमा नं. ...30/2013... सन् ...30/2013...

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–व–रू ...हजीर...

व हाजरी ...श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० ... मिनजानिब ...

...श्री प्रभुप्रकाश शर्मा एड०... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि ...वादपत्र वादी खारिज किया जाता है।...

...बाबत...

आज... मुवलिग... फीसदी सालाना आज

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ... का अदा करें।

की तारीख से तारीख वसूलयावी तक... माह... वर्ष...

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख...

को ज़ारी की गई।

दस्तखत ...Bharti...

सहायक कलक्टर

ओहदा ...उच्चैन (भरतपुर)...

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत)पर	....		
महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफर्रिक			
मीजान	....		

मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प अरजी	....		
महनताना वकील)पर	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मीजान	....		